Tele : 26189210
Fax : 2618 3227
Web: www.ncbc.nic.in

त्रिकूट-१, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - ११००६६
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,
New Delhi - 110066

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 'B' of the Constitution of India)

Email/Speed Post

Dated: 07.09.2021

To,

The Secretary
Education Department, Bihar
Government of Bihar,
Patna, Bihar.
(Email: secycell.education@gmail.com)

The Principal Secretary,
General Administration Department,
Old Secretariat, BR, Patna-800001
(Email: secy-par-bih@nic.in

The Chairman,
BPSC, 15 Jawaharlal Nehru,
Marg, Bailey Road,
Patna- 800001, Bihar
(Email: bpscpat-bih@nic.in)

Sub: Regarding complaints related to Bihar Public service Commission.

References:

F.No. NCBC/06/06/847/2021-CP
F.No. NCBC/06/04/764/2021-CP
F.No. NCBC/06/12/140/2019-CP
F.No. NCBC/06/01/169/2019-CP
F.No. NCBC/06/07/903/2021-CP
F.No. NCBC/06/02/593/2021-CP
F.No. NCBC/06/10/115/2019-CP
F.No. NCBC/06/12/152/2019-CP

Sir,

I am directed to refer to the meeting dated 31.08.2021 on the above mentioned subject and to forward herewith Minutes of the hearing along with the recommendation of NCBC for necessary action and you are requested to furnish action taken report to this Commission at the earliest.

2. This issues with the approval of Hon'ble Chairman, NCBC.

Encl: As above

Yours faithfully,

J. Ravishankar
07/9/2

(J. Ravishankar)
Under Secretary (Admin)

मि.स. रा.पि.व.आ./06/06/847/2021-सी.पी., मि.स. रा.पि.व.आ./06/04/764/2021-सी.पी.,
मि.स. रा.पि.व.आ./06/12/140/2019-सी.पी., मि.स. रा.पि.व.आ./06/07/903/2021-सी.पी.,
मि.स. रा.पि.व.आ./06/01/169/2019-सी.पी.,
मि.स. रा.पि.व.आ./06/02/593/2021-सी.पी., मि.स. रा.पि.व.आ./06/10/115/2019-सी.पी.,
मि.स. रा.पि.व.आ./06/12/152/2019-सी.पी., मि.स. रा.पि.व.आ./06/07/903/2021-सी.पी.,

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

श्री बालेंद्र कुमार एवं अन्य शिकायतकर्त्ताओ द्वारा प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में डॉ. भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्यक्ष कार्यालय, प्रथम तल, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066- में दिनाँक 31.08.2021 अपराह्न् 04:00 बजे द्वितीय सुनवाई नियत की।

बैठक में उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :

1. डॉ. भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री आनंद कुमार, सचिव
3. श्री राजेश कुमार, सलाहकार
4. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
5. डॉ.राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी

उपस्थित अधिकारीगण:

1. श्री पंकज कुमार, सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार
2. श्री जयशंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव, बिहार सरकार

3. श्री कुंदन कुमार, उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार सरकार
4. श्री एम. एस. अंसारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार

उपस्थित शिकायतकर्ता:

1. श्री बालेंद्र कुमार
2. कुमारी पूजा
3. श्री आलोक कुमार
4. श्री राकेश कुमार
5. श्री मनीष कुमार
6. श्री राम कृष्ण यादव
7. श्री एम. एस., आलम

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा के मुख्य बिन्दुओं का विवरण:

1. श्री कुंदन कुमार ,उप सचिव ,बिहार लोक सेवा आयोग ने माननीय आयोग को अवगत करवाया कि बिहार लोक सेवा आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी करने संबंधी कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए है एवं बिहार लोक सेवा आयोग , सामान्य प्रशासन विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ही कार्य करता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अभ्यार्थियों द्वारा प्रेफरेंस दी जाती है उसी प्रेफरेंस के आधार पर अभ्यार्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी में होने के बावजूद भी आरक्षित श्रेणी में किया जाता है। प्रेफरेंस के आधार पर अभ्यार्थियों का चयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार किया जाता है।
2. माननीय आयोग द्वारा श्री कुंदन कुमार ,उप सचिव ,बिहार लोक सेवा आयोग से प्रश्न किया गया कि प्रेफरेंस के आधार पर अभ्यार्थियों का चयन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्या बिहार सरकार द्वारा कोई जी.ओ./

नियमावली निर्गत की गई है? श्री कुंदन कुमार ,उप सचिव ,बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय आयोग को अवगत कराया गया की इस प्रकार की कोई जी.ओ./ नियमावली बिहार सरकार द्वारा निर्गत नहीं की गई है।

3. शिकायतकर्त्ता कुमारी पूजा ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के आधार पर उन्होंने अपनी लिखित परीक्षा की कॉपी निकलवाई जिसके आधार पर उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी लिखित परीक्षा की कॉपी में छेड़छाड़ की गई है एवं एक्सामिनर द्वारा अंक दिए जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा अधिकारी द्वारा 09 अंक को कम कर दिया गया है एवं अंक को कम करने का कोई स्पष्टीकरण भी नही दिया गया है। लिखित परीक्षा की कॉपी में से केवल उतने की अंक कम किये गये है जितने अंकों से मेरा चयन रोका जा सकता था।
4. शिकायतकर्त्ता श्री एम. एस. आलम ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि उन्होंने वर्ष 2018 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा दी थी इस परीक्षा की प्रक्रिया 04 वर्षो में पूर्ण हुई। महोदय अन्य पिछड़ा वर्ग का कटऑफ 435 अंक है एवं मेरे अंक भी 435 ही है, परंतु आयु के आधार पर मेरा चयन नहीं हुआ एवं दूसरे अभ्यर्थियों का चयन हो गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची भी नहीं जारी की गई है जिसके आधार पर सीटों के रिक्त होने पर मेरा चयन किया जा सके।
5. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारियों ने माननीय आयोग को अवगत कराय कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत नियमावली का पालन करना संबंधित विभागों का कार्य है।
6. शिकायतकर्त्ता श्री बालेंद्र कुमार ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। संकल्प पत्र का तीसरा बिन्दु रहता है कि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए। संकल्प पत्र का 9वां बिन्दु में कहा गया है "एक

दो विषय की प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार होने की स्थिति में परीक्षाफल अधिकतम एक वर्ष में प्रकाशित कर दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग दोनों संकल्प पत्र को पूरा करने में विफल रहा हैं। संकल्प पत्र के हर बिन्दु एक दूसरे से पूरक हैं। आयोग की लेटलतीफी के कारण अनगिनत अभ्यर्थी इन तीन वर्षों में ओवर-ऐज हो जाएंगे एवं प्रतीक्षा सूची न दिये जाने के कारण वे पुनः परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। एक तरह से उनके संजोये गए सपनों के साथ खिलवाड़ होगा। श्री कुंदन कुमार , उप सचिव बिहार लोक सेवा आयोग ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसके पश्चात् अलगअलग विषयों को लेकर मामलें - न्यायालय में चले जाते है। माननीय उच्च न्यायालय में मामला निष्पादित नहीं हो पाने के कारण अंतरिम परिणाम घोषित होने में समय लग जाता है।

सुनवाई के पश्चात् आयोग का निर्णय:

समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात् माननीय आयोग ने यह निर्देश दिया कि;

1. किसी भी परीक्षा परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका पालन लगभग सभी विभागों द्वारा किया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का परीक्षाफल 03 वर्षो के बाद घोषित किया गया एवं इतने विलंब के पश्चात् परीक्षाफल घोषित किये जाने के बाद भी प्रतीक्षा सूची भी जारी नहीं की, यह न्याय संगत नहीं है। इससे अनगिनत अभ्यर्थी जो बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करते आ रहे है वे ओवर ऐज हो जायेंगे एवं प्रतीक्षा सूची नहीं दिए जाने के कारण वे पुनः परीक्षा में भी नहीं बैठ पायेंगे। साथ ही पद रिक्त भी रह जायेंगे। अत: माननीय आयोग इस निर्णय पर पहुँचा है कि **64वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की प्रतीक्षा सूची 15 दिनों के अंदर निकाली जाये एवं जितने भी पद रिक्त है उन्हें प्रतीक्षा सूची से भरा जाए।**

2. मुख्य परीक्षा अधिकारी द्वारा **<u>किस नियम के आधार पर कुमारी पूजा के लिखित परीक्षा के अंक काटे गये</u>**, तत्संबंधी नियमावली की जानकारी आयोग के समक्ष **<u>07 कार्य दिवस</u>** के भीतर प्रस्तुत की जाये।
3. 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित प्रथम 20 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की सत्यापित कॉपी की प्रति आयोग के समक्ष 07 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाये।
4. **<u>अन्य पिछड़ा वर्ग</u>** के अभ्यर्थी का **<u>अनारक्षित श्रेणी</u>** में चयन होने पर उसे किस नियम के आधार पर पुनः **<u>आरक्षित वर्ग में ही चयनित किया गया</u>** है एवं यदि अनारक्षित श्रेणी से आरक्षित श्रेणी में प्रेफरेंस के आधार पर चयन किया भी गया है तो उस रिक्त स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का ही चयन किस नियम के आधार पर नहीं किया गया? संबंधित नियमावली की सत्यापित प्रति 07 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाये।
5. अगली सुनवाई में मुख्य सचिव, बिहार सरकार को बुलाया जाये।

दिनांक: 07/09/2021
स्थान: नई दिल्ली

भगवान लाल NLN 7/9/2021

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग